फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत : जिला कलक्टर मुकाम : बांसवाड़ा

प्रार्थी :– अपीलाण्ट		अप्रार्थी :– रेस्पोडेण्ट
हाजी मोहम्मद हनिफ वगैरा	बनाम	तहसीलदार गढी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मु. नं. 20/ 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18–12–2019	प्रार्थी ने तहसीलदार गढी के न्यायालय के प्रकरण संख्या 1/2017 श्री भेमा व अन्य बनाम श्री प्रेमशंकर व अन्य को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर पंत्रावली पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, गढी के प्रकरण संख्या 01/2017 उनवान श्री भेमा व अन्य बनाम श्री प्रेमशंकर व अन्य अन्तर्गत धारा 183 (बी) में अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 एवं 4 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके आधिपत्य की कृषि भूमि खाता सं. नया 291 व पुराना 346 के सर्वे नम्बर 2669/2863 रकबा 2 हेक्टर वाके ग्राम बेडवा तहसील गढी जिला बांसवाडा की कमिश्नर मौका रिपोर्ट दिनांक 12.06.2019 में पक्षकारों को सूचित किये बिना उनकी अनुपस्थिति में कमिश्नर दौरा मौका देखकर कमीश्नर रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रार्थी ने धारा 183 (बी) के तहत दर्ज प्रकरणों को अन्य तहसीलदार न्यायालय मे स्थानान्तरण करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। उनका तर्क है कि विचारणीय तहसीलदार न्यायालय ने पक्षकारों की अनुपस्थिति में उनकी बिना जानकारी के कमीश्नर नियुक्त कर कमीश्नर रिपोर्ट प्राप्त की गई है। अधिवक्ता स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के संबंध में स्वीकार किया कि यदि तहसीलदार पक्षकारों को सुचित कर उनकी उपस्थिति में नियुक्त कमीश्नर रिपोर्ट प्राप्त की जाती है तो वर्तमान तहसीलदार न्यायालय गढी में सुनवाई कर निर्णय पारित करने पर उन्हें आपत्ति नही हैं। अतः स्थानान्तरण प्रकरण में यह निर्देश दिये जाते है कि तहसीलदार पक्षकारों की उपस्थिति में कमीश्नर नियुक्त कर उनकी उपस्थिति में मौका कमीश्नर मौका देखकर रिपोर्ट तैयार करने की कार्यवाही करें। तद्नुसार प्रार्थना पत्र का निरस्तारण किया जाता है। इस आदेशिका की प्रति तहसीलदार गढी को पालनार्थ भेजी जावें। 18/12/19 (अन्तर सिंह नेहरा) जिला कलक्टर, बांसवाड़ा	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Antar Singh Nehra
Date: 2019.12.24 10:15:04 IST
Reason: SelfAttested